कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर, (छ0ग0)

//आदेश //

क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा0/3072/2020 बिलासपुर दिनांक 6 अगस्त 2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ रीडर–जि0दण्डा0 /2901/2020 बिलासपुर दिनांक– 20 जुलाई 2020 के द्वारा, नगर पालिक निगम बिलासपुर, नगर पंचायत बिल्हा तथा नगर पंचायत बोदरी के सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है तथा उक्त आदेश की कण्डिका ''अ'' एवं ''ब'' में वर्णित गतिविधियों को इन नगरीय क्षेत्रों में, दिनांक 23/07/2020 प्रातः 05:00 बजे से 31/07/2020 सायं 04:00 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। तत्पश्चात कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ रीडर–जि0दण्डा0 /2980 /2020 बिलासपुर दिनांक 28 जुलाई 2020 के द्वारा कण्डिका ''अ'' एवं कण्डिका 'ब'' में वर्णित गतिविधियों पर लगायी गयी रोक की समय–सीमा में, दिनांक 06/08/2020 रात्रि 12:00 बजे तक के लिए वृद्धि की गयी है।

जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये गाईडलाईन, दिशा–निर्देश, एडवाईजरी के पालन सहित, SOP, मास्क लगाने, शॉप सैनेटाईजेशन, हैण्ड सैनेटाईजर्स, सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के पालन की शर्त पर दिनांक 07.08.2020 से नगर पालिक निगम बिलासपुर, नगर पंचायत बोदरी तथा बिल्हा एवं छत्तीसगढ शासन सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के परिपत्र क्रमांक 367/स0सा0प्र0वि0/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 30/07/2020 तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3/2020– DM-1(A) दिनांक 29.07.2020 के द्वारा जारी निर्देशों के तहत समस्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी। लेकिन निम्न गतिविधियां उनके समक्ष अंकित अवधि में संचालित की जा सकेंगी–

1– दवाई दुकानों, पेट्रोल पम्प को छोड़कर अन्य दुकान/व्यवसायिक संस्थान प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक संचालित होंगी।

2– रेस्टोरेण्ट रात्रि 10:00 बजे तक संचालित किये जा सकेंगे।

3– सभी शासकीय, निजी कार्यालय पूर्व की भांति संचालित होंगे । कार्यालय प्रमुख SOP के अनुसार सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग सहित संक्रमण से बचाव हेतु अन्य उपाय का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

पूर्व में अप्रभावित जिले/क्षेत्र के हॉटस्पॉट्स एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा उपरोक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन में कदापि नहीं होगी।

6/8/2020

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के परिपत्र क्रमांक 367/स0सा0प्र0वि0/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 30/07/2020 तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3/2020– DM-1(A) दिनांक 29.07.2020 के द्वारा जारी निर्देश, इस आदेश के साथ पठनीय होंगे।

कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुये कार्यालयीन आदेश क्रमांक /रीडर–जि0दण्डा0/1832/2020 बिलासपुर दिनांक 17, मई 2020 द्वारा सम्पूर्ण बिलासपुर जिले के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गयी धारा 144 की समय–सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 16 अगस्त 2020 तक लागू किये जाने का आदेश पारित किया गया है, को इस आदेश के साथ पढा जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

6/8/2020

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर, (छ0ग0)
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

पृ0 क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा/3072A/2020 बिलासपुर, दिनांक 6 अगस्त 2020

प्रतिलिपि–

1– अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।

2– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।

3– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।

4– आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।

5– पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

6– पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर,

7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर

8– आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी– न0पं0

9– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर, जिला– बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

10– उप संचालक, जनसंपर्क , बिलासपुर को समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ।

11– अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बिलासपुर/कोटा/मस्तुरी एवं बिल्हा,

12– तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी.................................समस्त

13– थाना प्रभारी सर्व ....

जिला– बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर, (छ0ग0)
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

COLLECTOR * BILASPUR

Scanned with CamScanner